


प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ

—:आदेश:—

मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक 407 दिनांक 07.04.2022 के दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्यहित में बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम-2015 के तहत प्रथम अपीलवाद की सुनवाई सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार (राजपत्रित अवकाश) को छोड़कर समय 11:00 बजे पूर्वा० निर्धारित की गई है।

नोट:- सभी आगंतकों को कोविड-19 के रोक-थाम हेतु निर्धारित मानकों(यथा-मास्क पहनना)दो गज की दूरी आदि) का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ Double Dose of Vaccination से संबंधित टीकाकरण प्रमाण -पत्र रखना अनिवार्य होगा।
उपरिस्थिति/आवेदन पत्र समय 10:00 बजे पूर्वा० से 10:30 बजे पूर्वा० तक ही प्राप्त किया जा सकेगा।


इस आदेश पर आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


13.05.2022

(पद्मानंद कुमार)
प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक ...284... दिनांक

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक/ आई०टी०प्रबंधक/सभी कार्यपालक सहायक, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय,पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


13.05.2022
(पद्मानंद कुमार)
प्रशाखा पदाधिकारी,
प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णिया।